न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस.

सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील संख्या :– 01/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुमेरलाल शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा निवासी गांव सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।		1. सुनवाई अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, बाडमेर।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत
प्रथम अपील

:: विनिश्चय ::

दिनांक: 1.4.2019

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 7.1.2019 को सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्ति हेतु दिनांक 19.1.2018 को आवेदन किया। आर्म्स अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर, बाडमेर को अपीलान्ट के आवेदन पर 60 दिवस मे निर्णय करना चाहिये था, परन्तु जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा आदिनांक तक कोई कार्यवाही नही गयी है। सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि मे ना ही सुनवाई की ओर ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये । अपीलान्ट निर्धारित दिनांक 20.2.2019, 6.3.2019 व दिनांक 26.3.2019 को उपस्थित हुए। जिला कलेक्टर, बाडमेर की ओर से बावजूद सूचना के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ ओर ना ही कोई टिप्पणी प्राप्त हुई। अतः उपस्थित अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

उपस्थित अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्ति हेतु दिनांक 19.1.2018 को आवेदन किया। आर्म्स अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर, बाडमेर को अपीलान्ट के आवेदन पर 60 दिवस मे निर्णय करना चाहिये था,

परन्तु जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा आदिनांक तक कोई कार्यवाही नही गयी है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 कि धारा 4 के तहत सुनवाई हेतु आवेदन किया। नियमों के तहत उक्त आवेदन पत्र पर 15 दिवस के अन्दर सुनवाई कर निर्णय किये जाने का प्रावधान है। जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतित हो जाने के पश्चात भी कोई निर्णय नही किया है। अतः यथोचित आदेश पारित करने हेतु जिला कलेक्टर, बाडमेर को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।

हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं सूचना के अधिकार अधिनियम का अवलोकन किया । राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 7.6.2012 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त नही किया गया है। जिला कलेक्टर कार्यालय हेतु लोक सुनवाई अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिसकी प्रथम अपील जिला कलेक्टर को होगी तथा द्वितीय अपील सम्भागीय आयुक्त को होगी। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपनी अपील मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 7.1.2018 अंकित की है, जबकि रजिस्ट्री की रसीद पर दिनांक 6.1.2018 अंकित है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत अपील उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नही होने एवं त्रृटिपूर्ण होने से खारीज की जाती है। अपीलान्ट इस संबंध मे नियमों मे दिये गये प्रावधानों अनुसार संबंधित लोक सुनवाई अधिकारी को प्रार्थना पत्र नये सिरे से पेश करें। निर्णय आज दिनांक 1.4.2019.को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठारी)
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
दिनांक

कमांक
प्रतिलिपिः

1. जिला कलेक्टर, बाडमेर।
2. सुमेरलाल शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा निवासी गांव सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर सूचनार्थ प्रेंषित है।

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर